International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.2 Nov – Dec 2022

बाल अधिकार, बाल संरक्षण के लिए नीति और विधायी ढांचा

डॉ. गौरी सिंह परते
सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी
जिला-डिन्डौरी (म०प्र०)
Corresponding Author- डॉ. गौरी सिंह परते
E-mail: parte1980.2011@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7496076

सारंश

बाल श्रम समाज पर कलंक है। बाल श्रम के दलदल से बच्चों के बचपन को निकालना बड़ी चुनौती है। बाल श्रम को मिटाने के लिए सरकार के साथ-साथ वैयक्तिक पहल भी जरूरी है। बाल श्रम के संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोच में बदलाव। जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस समस्या का स्थाई समाधान निकल पाना संभव नहीं है। बाल श्रम की समाप्ति के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की सख्त जरूरत है। भारतीय दंड विधान द्वारा जो कार्यवाही है उसे सुनिश्चित किया जाना चाहि,। हमें किसी भी वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहि। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। बिना बाल शिक्षा के देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है।

प्रस्तावना :- बाल श्रम एक बीमारी है जो हमारे लाखों बच्चों के बचपन को धीरे-धीरे खा रही है। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक भारतीय दंड विधान भी बनाये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद २४ में कहा गया है कि १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नही कराया जायेगा, विशेषकर ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, किन्तु आज इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बाल श्रम (निवेश एवं विनियम) अधिनियम १९८६ खतरनाक व्यवसायों में कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक सामंजस्य का अभाव, पंरपरागत व्यवसाय, बढ़ता औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव बाल मजदूरी के प्रमुख कारण हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए भी सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की जरूरत है। बाल शिक्षा के अभाव में देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है।

उद्देश्य:

१- बाल श्रम से सम्बन्धित संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।
२- बाल श्रम को रोकने के लि, सम्भावित सुझाव प्रस्तुत करना।

बच्चे देश, राष्ट्र व समाज के निर्माता होते है अत: देश व समाज का दायित्व होता है कि वह अपनी अमूल्य निधि को सहेज कर रखे। इसके लि, आवश्यक हैं कि बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, शारीरिक, मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शेाषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे-छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। जो

समाज अपने बच्चों के लिए संवेदनशील नही है वह अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति कभी गम्भीर नहीं हो सकता। बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमे की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। जब एक बच्चा किसी ऐसे काम में सलंग्न होता है जो उसको अवकाश खेलकूद एवं शिक्षा से बंचित करता है तो उसे "बाल श्रम" कहा जाता हैं। १४ साल तक के बच्चों का अपने बचपन से ही नियमित काम करना बाल मजदूरी कहलाता है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिये अपराध है जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक ,वं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लि, उसे परिवार के बीच प्रसन्नता, प्रेम और आपसी समझ-बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहि,। भारत में बाल श्रम का सेवायोजन प्रायः काजू, जटा-जूट, नारियाल, कालीन, दियासलाई, बीड़ी-तम्बाकू, कांच, बागान, खानों, सूती वस्त्र, ऊन, विस्फोटक, अभ्रक, चमड़ा, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ईट-भट्टा, रसायन मिलों तथा अन्यान्य सफाई उद्योगों में ज्यादा पाया जाता हैं इसमें अधिकतर १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिकता में रखा जाता हैं। बच्चों को परिवार चलाने की जिम्मेदारी नहीं पढ़ने लिखने और व्यक्तित्व का विकास करने की संभावना चाहि,।

संवैधानिक वचनबद्धता के अनुसरण में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल-नीति बच्चों के कल्याण के लिए संकल्प संख्या १७/७४ सी-डी-डी- दिनांक २२ अगस्त, १९७४ को बनायी। इस राष्ट्रीय बाल नीति की प्रस्तावना में कहा गया कि "बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनकी देखभाल और चिन्ता करना हमारी जिम्मेदारी हैं। मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहि, ताकि हमारे बच्चे पुष्ट नागरिक बनें और नैतिक रूप से स्वस्थ बने।" बाल श्रम की समीक्षा न्यायालय बराबर करते आ रहे हैं। एम-सी- मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ,- आई- आर- १९९७ एस- हंसारिया तथा न्यायमूर्ति एस- बी- मजूमदार ने निर्णय में यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि "हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना का भारत साहसी एवं पराक्रमी बालकों में परिलक्षित होता है। उनकी कल्पना एक ऐसे बालक की रही है जिसे समुचित शिक्षा मिले, उसकी शोषण से रक्षा हो और उसका सर्वांगीण विकास अवरूध न रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ७५ वर्षों बाद भी हमारे देश में बालक श्रम एक गम्भीर समस्या बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई,लओ) आंकलन है कि दुनिया भर में १६ करोड़ ८० लाख बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं। इनमें ८५ करोड़ बच्चे खतरनाक काम में लगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भारत में है। अगर हम जनगणना के आंकड़ो पर नजर डाले तो- १९९१ की जनगणना के हिसाब से बाल श्रमिक ११-३ फीसदी थे, २००१ में इनकी संख्या १४- ६ फीसदी हो गयी। २०११ की जनगणना में यह आंकड़ा बढ़कर २४-८ फीसदी हो गया है। 'ह्यूमन राइट्स वॉच' के जावड़ेकर ने कहा, "उपभोक्ताओं के पास सामान्यतया किसी भी तरह से यह जानने का रास्ता नहीं रहता कि वे जो खाना खा रहे हैं, कपड़े और गहने वे जो पहन रहे हैं या अन्य उत्पाद जो वे खरीदते हैं वे बाल श्रम से बने हैं।" संविधान के अनुच्छेद २४ में कहा गया है कि १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराया जायेगा, विशेषकर ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो किन्तु आज इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा हैं। पढ़ाई लिखाई या खेल कूद के बजा, ये बच्चे ईट के भट्टों मे १० घंटे काम कर रहे है और बदले में इन्हें ६० या ७० रूपये मिलते हैं।

संवैधानिक प्रावधान :-

अनुच्छेद १५(३)- बालको के लिए अलग से कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता हैं।

अनुच्छेद २१- प्रत्येक राज्य बच्चों के जीवन और स्वतंत्रता का रक्षा सुनिश्चित करेगा। संविधान के ८६ वें संशोधन २००२ के माध्यम

से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता हैं।

अनुच्छेद २३- बालकों के क्रय-विक्रय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाई गई है साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक के काम करनाभी प्रतिबन्धित हैं।

अनुच्छेद २४- १४वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लि, नियोजित नहीं किया जायेगा या अन्य किसी परिसंकट नियोजन में नही लगाया जायेगा।

अनुच्छेद ३९- बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधा, उपलब्ध करने हेतु सरकार को निर्देश दिये गये हैं।

अनुच्छेद ३९(ई)- बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं कि उन्हें ऐसे कार्यो में न लगाया जा, जो उनकी उम्र व स्वास्थ्य के लिए घातक हों।

अनुच्छेद ३९(च)- बचपन तथा जवानी का शोषण व नैतिक और आर्थिक परित्याग के विरूद्ध संरक्षित करता हैं।

अनुच्छेद ४५- १४वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बालकों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता हैं। कानूनी प्रावधान

भारतीय दण्ड संहिता धारा-८२- ७वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में दण्डित करना वर्जित।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-१२५- सन्तान और साथ में बच्चे, चाहे वे वैध अथवा अवैध सन्तान हो भरण-पोषण के हकदार हैं।

कारखाना अधिनियम १९४८ :- अधिनियम किसी भी कारखाने में १४ साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की धारा ६७ में कहा गया है कि किसी बालक को तब तक नियोजन में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उसने १४ वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

खान अधिनियम १९५२ :- खान अधिनियम १९५२ में वर्ष १९८३ में हुये महत्वपूर्ण संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धारा ४० के तहत खान में १८ वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक का नियोजन प्रतिबन्धित है इतना ही नहीं किसी व्यक्ति को यदि खान के कार्य में प्रशिक्षण लेना है तो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता की आयु भी १८ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इसके साथ-साथ उसे एक उचित पर्यविक्षण लेना आवश्यक हैं।

शिशु अधिनियम १९६१ (यथा संशोधित १९७८) :- बच्चों को अस्वस्थकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाना प्रतिबन्धित।

बाल श्रम (निवेश एवं विनियमय) अधिनियम १९८६ :- कानून द्वारा खतरनाक व्यवसायों में १४ साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस अधिनियम के दौरान जो प्रारम्भ से चली आ रही बच्चों के श्रमिक रूप मे होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे- आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावात्मक शोषण आदि को निश्चित सीमा तक रोकने का व्यापक तौर पर प्रयास २००६ में और २००८ में विस्तार किया गया।

बच्चों के किशोर न्याय (देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम २००० :- इस कानून में किसी भी खतरनाक नियोजन में या बंधन में क बच्चे की खरीद या रोजगार के लिये बच्चे को ले जाना अपराध है जिसके लिए जेल की सजा के साथ जुर्माना लिया जाता हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, २०१५ :- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम २०१५, किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, २००० के स्थान पर बनाया गया हैं। इस अधिनियम को ७ मई, २०१५ को लोक सभा द्वारा और २२ दिसंबर, २०१५ को राज्य सभा द्वारा पास किया गया था। इसके बाद ३१ दिसंबर, २०१५ को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी। इस अधिनियम में 'किशोर' शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए 'किशोर' शब्द की नामावली में परिवर्तन किया गया हैं। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया है। बच्चों के छोटे, गम्भीर और जघन्य अपराध, किशोर न्यायबोर्ड व बालकल्याण समिति के अधिकारों, कार्यो और जिम्मेदारियों में स्पष्टीकरण, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच में स्पष्ट अवधि, १६

साल से ऊपर के बच्चों द्वारा किये गये जघन्य अपराध की स्थिति में विशेष में प्रावधान, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों पर अलग नया अध्याय, बच्चों के विरूद्ध किये गए नये अपराधों को शामिल किया गया, बालकल्याण व देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (छब्ब्ब्त्) इसकी स्थापना ५ मार्च २००७ को हुई, इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ के तहत बच्चों को दिए अधिकार जैसे समानता, ६ से १४ साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई हैं।

निष्कर्ष :- बाल श्रम एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक समस्या है जो बच्चों के शारीरिक-मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है इसके बावजूद बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। भारत का प्रत्येक चौथा बच्चा बालश्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई देती है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उन्हे स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जायेगी। बच्चे आज भी राजनैतिक, सामाजिक प्राथमिकता में नहीं है। सस्ते श्रमिक के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ८० लाख बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि शहरों में २० लाख के करीब है, ६२,८ः बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। ५९ः बच्चे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बच्चे सस्ता श्रम होते हैं तभी इन्हें ठेकेदार व दुकानदार अपने व्यवसाय में रख लेते हैं। सरकार द्वारा बनाये गये बाल श्रमिक कानूनों के अनुसार १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर लगाना वर्जित है, और इसकी अवहेलना करने पर कार्यवाही की जाती है। बाल श्रमिक कानून का किसी भी व्यवसाय मालिकों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। बालश्रम के कारणों में अशिक्षा, निर्धनता, संयुक्त परिवार, वैश्वीकरण, निजीकरण व उपभोक्तावादी संस्कृति आदि हैं। ठोस स्तर की राज्य व राष्ट्रीय नियमों/कानूनों के अभाव के चलते बालश्रम की समस्या बनी हुई है। बाल श्रमिको की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार द्वारा बनाये गये कानून व प्रयास भी ऊँट के मुंह मे जीरा प्रतीत हो रहे हैं।

सन्दर्भ

१. कुंवर कनक सिंह राव : बाल श्रम (प्रतिशेध और विनियम) अधिनियम १९८६- प्रभात प्रकाशन प्रा. लि. संस्करण २०२१, पृ. ३२,
२. अधि. हर्सवर्धन सिंह : किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०००- प्रयागराज प्रकाशन, पृ. १५,
३. मानवाधिकार नई दिशांए (२००८), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक-५, २००८- पृ. ३९-४०,
४. सारस्वत माधवानन्द, ”मानवाधिकार एक अवलोकन”, संजना प्रकाशन राजस्थान, २०११- पृ.१२३,
५. आहूजा राम, ”सामाजिक समस्या,”, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, २०१२-
६. आर्या रश्मि व बिष्ट एस०, जनपद नैनीताल में बाल श्रमिक समस्या ,वं निदान, क्वैस्ट शोध पत्रिका, २०१४, पृ. ८,
७. सिंह के० पंकज, ”समर्थ भारत”, डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली, २०१५-
८. लक्ष्मीकान्त ,म०, ”भारत की राजव्यवस्था”, Mc-Graw Hill Education, (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली चतुर्थ संस्करण २०१९ पृ. ७२,
९. सत्यार्थी कैलाश, ”आजाद बचपन की ओर”, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, २०१६- पृ. ९८,
१०. बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम २०१५, महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट जनवरी २०१६- पृ. १२३,
११. www-jagran-co३ दिनांक ११ जून २०१७-